

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)  
पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—41/2020 (2020/00070) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. शंकरलाल पिता प्रताप ब्रह्मण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. हीरालाल पिता देवा गुजर निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुरजमल पिता मांगु गुजर निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. धूली बाई पत्नि हीरालाल रावणा राजपूत निवासी सरगूं तह० रायपुर जि० भीलवाड़ा
2. परसराम पिता रूपलाल ब्रह्मण निवासी नाहरी तह० रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल०आर०एक्ट

निर्णय

दिनांक 07.07.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है  
ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के  
खातेदारी अधिकारों की एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 429 रकबा 0.39 है०, आराजी  
संख्या 430 रकबा 0.77 है०, आराजी संख्या 431 रकबा 0.58 है०, आराजी संख्या 432  
रकबा 0.46 है०, आराजी संख्या 433 रकबा 0.57 है०, आराजी संख्या 434 रकबा 0.26 है०,  
आराजी संख्या 435 रकबा 0.24 है०, आराजी संख्या 436 रकबा 0.44 है०, आराजी संख्या  
437 रकबा 0.28 है०, आराजी संख्या 438 रकबा 0.01 है०, आराजी संख्या 439 रकबा 0.46  
है०, आराजी संख्या 440 रकबा 0.33 है०, आराजी संख्या 441 रकबा 0.35 है०, आराजी  
संख्या 442 रकबा 0.45 है०, आराजी संख्या 443 रकबा 0.78 है०, आराजी संख्या 444  
रकबा 0.21 है०, कुल कितना 16 कुल रकबा 6.77 है० भूमि खाता संख्या 611 पर दर्ज  
रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं।  
प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से  
प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में  
दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को  
अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को  
कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार  
टालमबाजी का जवाब देते रहे हैं। प्रार्थीगण ने दिनांक 20.02.2020 को विपक्षीगण को  
अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश  
करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 22.05.2020 को  
पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस  
की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 2 तक बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से  
इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार  
अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी  
प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक  
सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः




## आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 429 रकबा 0.39 है0, आराजी संख्या 430 रकबा 0.77 है0, आराजी संख्या 431 रकबा 0.58 है0, आराजी संख्या 432 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 433 रकबा 0.57 है0, आराजी संख्या 434 रकबा 0.26 है0, आराजी संख्या 435 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 436 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 437 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 438 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 439 रकबा 0.46 है0, आराजी संख्या 440 रकबा 0.33 है0, आराजी संख्या 441 रकबा 0.35 है0, आराजी संख्या 442 रकबा 0.45 है0, आराजी संख्या 443 रकबा 0.78 है0, आराजी संख्या 444 रकबा 0.21 है0, कुल किता 16 कुल रकबा 6.77 है0 भूमि खाता संख्या 611 पर दर्ज रेकार्ड है। जिसकी पत्थरगढी कराये जाने हेतु सम्बधित भु-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1500/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(सुन्दरलाल बम्बोजा)  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलक्टर जिला भीलवाडा  
रायपुर (भीलवाडा)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)**

पीठासीन अधिकारी:-सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-41/2020 (2020/00070) प्रार्थना पत्र

**अनवान**

1. शंकरलाल पिता प्रताप ब्रह्मण निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. हीरालाल पिता देवा गुजर निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सुरजमल पिता मांगु गुजर निवासी नारायणखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. धूली बाई पत्नि हीरालाल रावणा राजपूत निवासी सरगूं तह० रायपुर जि० भीलवाड़ा
2. परसराम पिता रूपलाल ब्रह्मण निवासी नाहरी तह० रायपुर जिला भीलवाड़ा

**विपक्षीगण**

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल०आर०एक्ट**

**प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत**

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 07.07.2020 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम नाहरी पटवार हल्का नाहरी तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 429 रकबा 0.39 है०, आराजी संख्या 430 रकबा 0.77 है०, आराजी संख्या 431 रकबा 0.58 है०, आराजी संख्या 432 रकबा 0.46 है०, आराजी संख्या 433 रकबा 0.57 है०, आराजी संख्या 434 रकबा 0.26 है०, आराजी संख्या 435 रकबा 0.24 है०, आराजी संख्या 436 रकबा 0.44 है०, आराजी संख्या 437 रकबा 0.28 है०, आराजी संख्या 438 रकबा 0.01 है०, आराजी संख्या 439 रकबा 0.46 है०, आराजी संख्या 440 रकबा 0.33 है०, आराजी संख्या 441 रकबा 0.35 है०, आराजी संख्या 442 रकबा 0.45 है०, आराजी संख्या 443 रकबा 0.78 है०, आराजी संख्या 444 रकबा 0.21 है०, कुल किता 16 कुल रकबा 6.77 है० भूमि खाता संख्या 611 पर दर्ज रेकार्ड है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1500/-रूपये सम्बन्धित भू- अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 07.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।



(सुन्दर लाल बम्बोडा)

उपखण्ड अधिकारी

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर (भीलवाड़ा)

